



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 25.06.2026

1.थाना फेस-1 नोएडा पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 106 टैट्रा पैक अवैध देशी शराब बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 25.06.2026 को थाना फेस-1 नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस की सहायता से अवैध शराब की तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त मिथुन पुत्र कुंवरपाल को बी-13, सेक्टर-7 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 106 टैट्रा पैक अवैध देशी शराब बरामद हुए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. मिथुन पुत्र कुंवरपाल निवासी सेक्टर-7, नोएडा मूल पता गांव शोले, थाना चायसे, जिला पलवल, हरियाणा उम्र 31 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0-311/2026 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0-18/2024 धारा 4/25 A .ACT थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0-138/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0-305/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 106 टैट्रा पैक अवैध देशी शराब

2.थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा 01 गांजा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 25.06.2026 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त मोनू जोगी पुत्र रामकिशन उर्फ भुल्लड को ओसिस सोसाईटी गोलचक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. मोनू जोगी पुत्र रामकिशन उर्फ भुल्लड निवासी चंपत कालोनी कस्बा व थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर वर्तमान पता ग्राम तिलपता, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर, उम्र लगभग 29 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

01. मु0अ0सं0- 355/2026, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
02. मु0अ0सं0- 278/2022, धारा 356/379/411/120-बी भादवि, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
03. मु0अ0सं0- 279/2022, धारा 414 भादवि, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
04. मु0अ0सं0- 519/2024, धारा 304(2)/317(2)/345(3) बीएनएस, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
05. मु0अ0सं0- 549/2024, धारा 317(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
06. मु0अ0सं0- 268/2015, धारा 60/63 आबकारी अधिनियम, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।
07. मु0अ0सं0- 518/2023, धारा 307/379/411 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।
08. मु0अ0सं0- 359/2018, धारा 41 सीआरपीसी, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
09. मु0अ0सं0- 189/2020, धारा 392 भादवि, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
10. मु0अ0सं0- 404/2019, धारा 392/411 भादवि, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
11. मु0अ0सं0- 081/2020, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
12. मु0अ0सं0- 277/2020, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
13. मु0अ0सं0- 763/2020, धारा 4/25(1-B) आर्म्स एक्ट, थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।
14. मु0अ0सं0- 767/2020, धारा 414 भादवि, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
15. मु0अ0सं0- 208/2023, धारा 379/411 भादवि, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
16. मु0अ0सं0- 274/2023, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
17. मु0अ0सं0- 485/2023, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
18. मु0अ0सं0- 641/2024, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
19. मु0अ0सं0- 121/2023, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना ईकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

01. 01 किलो 100 ग्राम गांजा।

3.थाना फेस-1 पुलिस द्वारा 02 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से लगभग ₹16 लाख कीमत का 62 किलो 400 ग्राम गांजा बरामदा

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 25.06.2026 को थाना फेस-1 पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 02 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर 1.मौ0 मुजफ्फर अंसारी पुत्र जियाबुल अंसारी 2. टिंकू पुत्र रामबाबू को सेक्टर-8 नर्सरी के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 62 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 16 लाख रुपए है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तगण शातिर किस्म के तस्कर हैं। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि वे पश्चिम बंगाल से गांजा छोटे-छोटे पैकेटों में पैक कर ट्रेन के माध्यम से दिल्ली लाते थे। परिवहन के दौरान इन छोटे-छोटे पैकेटों को ट्रेन में विभिन्न बोगियों में रखवाया जाता था, जिन्हें दिल्ली पहुंचने पर उतार लिया जाता था। इसके बाद गांजे के पैकेटों को एक बड़ी बोरी में एकत्र कर किराये के ऑटो रिक्शा/ ई-रिक्शा के माध्यम से फुटकर विक्रेताओं को बेचकर अवैध लाभ अर्जित किया जाता था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

01. मौ० मुजफ्फर अंसारी पुत्र जियाबुल अंसारी निवासी जे०जे० कॉलोनी, सेक्टर-9, थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।
02. टिंकू पुत्र रामबाबू निवासी जे०जे० कॉलोनी, सेक्टर-9, थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

01. मु०अ०सं० 309/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

01. लगभग ₹16 लाख कीमत का 62 किलो 400 ग्राम गांजा।